सुरनिगदास आदि – तहसीलदार प्र.नं. 29/16

दिनांक	आज्ञा पत्र	
17.1.18	वकुलाये फरीकैन उपस्थित । बहस अपील पर सुनी गई । प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलान्ट के पूर्वज ने अदालत मातहत में दावा बाबत उदघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकार्ड संशोधन का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 290 रकबा 0.21 हैक्टर जिसके पुराने ख0नं0 100 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा सीकर में स्थित है जो वादी के कब्जा काश्त एवं आधिपत्य में रही है । इस आराजी का पूर्व में खातेदार अमरदास चेला रामकरण दास के नाम थी । अमरदास के फौत होने पर यह आराजी वादी गोपालदास के नाम दर्ज हो गई । जिसका कब्जा गोपालदास को दे दिया गया । उक्त आराजी की खातेदारी सम्वत 1998 से ही वादी के गुरू स्व0 अमरदास के नाम से रही है जो सम्वत 2012 से 2018 तक रही सम्वत 2022 में बिना किसी आधार के रेवन्यू अधिकारियों	

ने उक्त आराजी की खातेदारी बगीची के नाम कर दी। जबकि रेवन्यू अधिकारियों /कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम आदेश के खातेदारी बदलने का कोई अधिकार नहीं है ।इस आराजी पर कब्जा काश्त वादी का है ।अतः वादी को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में बगीची का नाम हजफ किया जावे । योग्य अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर पेश की।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विवादित आराजी की खातेदारी शुरू से ही अपीलान्ट के गुरू अमरदास के नाम से थी ।जो सम्वत 2012 से 2017 तक लगातार रही । अमरदास की मृत्यु के बाद यह आराजी गोपालदास के नाम दर्ज हुई । अमरदास के देहान्त के बाद चादर पोश भी गोपालदास पर ही की गई । इस प्रकार यह आराजी अपीलान्ट के कब्जा काश्त मे पूर्वजो के समय से ही चली आ रही है । इस आराजी की खातेदारी राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम आदेश के बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये समाप्त कर बगीची के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं था । इस बिन्दू पर बिना गौर किये आदेश पारित किया है। जबकि विवादित आराजी की काश्त खसरा गिरदावरी सं0-2012 से 2018 के कालम संख्या-5 में काश्त गोपाल दास चेला अमरदास की दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट से भी उक्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का साबित है ।खसरा गिरदावरी सं0- 2019 से 2022 के कालम सं0-5 में खातेदार अमरदास का कब्जा गोपालदास चेला अमरदास के नाम दर्ज है । इन सब तथ्यों पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अदालत

है । अदालत मातहत में गोपालदास की मृत्यु होने पर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार करने पर संशोधित शीर्षक पेश किया गया किन्तु अदालत मातहत ने अपना निर्णय मृत व्यक्ति गोपाल दास के नाम से ही जारी किया जो शुरू से ही शून्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से यह आराजी हमारे पूर्वज अमरदास के नाम दर्ज रही है जिसके साक्ष्य में जमाबन्दी सं0-2012 से 2018 पेश की है ।तहसीलदार ने विवादित आराजी पर हमारा कब्जा माना है । किन्तु राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम आदेश के बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये ही इस आराजी की खातेदारी अपीलान्ट के पूर्वज से हटाकर बगीची के नाम दर्ज कर दी जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था । अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर उक्त भूमि कि खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज की जावे तथा बगीची की खातेदारी समाप्त की जावे ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने अपना निर्णय समस्त राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर अपना निर्णय दिया है । इस आराजी पर मौके पर समाधी है तथा खातेदारी बगीची दर्ज है ।वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी राजकीय खातेदारी में दर्ज है ।अदालत मातहत ने सही

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0 2065 से 2068 मे विवादित आराजी अलावा जौत गै0मु0 बगीची दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त मे खातेदारी के कालम में अमरदास चेला रामकरणदास के नाम दर्ज है । जिस पर नोट दर्ज है मु0नं0 1064 दिनांक 16-10-1935 एस0डी0 साहब के आदेश 28-12-1943 के द्वारा खाम बनोयत उदक(समाधी) के नाम दर्ज की है । नकल खसरा गिरदावरी सं0-2014 से 2018 में खातेदारी अमरदास चेला रामकरण दास के नाम किस्म गै0मु0 बगीची, खसरा गिरदावरी सं0-2022 से 2025 में खातेदार सरकार तथा बगीची दर्ज है ।जमाबन्दी सं0 2065 से 2068 में विवादित आराजी अलावा जौत गै0मु0 बगीची किस्म गै0मु0 बगीची दर्ज है । सिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नं0 100 रकबा 15 बिस्वा के हाल ख0नं0 290 रकबा 0.21 हैक्टर बने हैं । पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि वर्तमान में विवादित आराजी राजकीय खातेदारी में दर्ज है जिसकी किस्म बगीची दर्ज है । किन्तु उक्त आराजी पूर्व में अपीलान्ट के पूर्वज अमरदास के नाम दर्ज है ।इस बिन्दू पर पुनः गोर कर साक्ष्य ली जाकर निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-2-2016 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को सुनकर, साक्ष्य लेकर अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 20-2-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सुनाया गया ।

(भवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी